THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please sit down. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the "consolidated Fund of India for the services of the financial year 1998-99 for the purposes of Railways, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 and the schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

SHRI NITISH KUMAR: I beg to move:

"That the Bill be returned."

The question was put and the motion was adopted.

PERSONAL EXPLANATION

Re. Prasar Bharati Bill

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Minister, do you want to say something?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं व्यक्गित स्पष्टीकरण के लिए खड़ा हूं। सदन में आज प्रातःकाल विपक्ष के सम्मानित नेता और अन्य प्रमुख नेताओं ने ऐसी आपत्ति उठाई थी कि सदन के चलते हुए, सदन के बाहर मैने प्रसार-भारती के संबध में कोई महत्पूर्ण घोषणा करके सदन की एक तरह से अवमानना की थी। मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मंत्री पद के इस 18 दिन के कार्यकाल में मैनें संसद के बाहर कोई भी घोषणा नहीं की है। मैं किसी समाचार पत्र वाले को या किसी दूरचित्रवाणी वाले को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में कहीं भी नहीं मिला हूं। किसी प्रकार का मैने विशेष साक्षात्कार नहीं किया है। इसलिए प्रसार भारती क्या, मैनें मंत्रालय के संबंध में किसी भी विषय पर सार्वजनिक कोई बात नहीं की है। जैसा मैनें कहा मंत्री तो मैं 18 दिन का हूं, 12 वर्ष का सांसद हूं,संसद की परम्पराओं से मैं परिचित हूं, इसलिए सदन के चलते हुए कोई भी घोषणा बाहर करके मैं सदन की अवमानना करने की सोच भी नहीं सकता हूं, उसकी परम्पराओं का उल्लघंन भी मैं नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब विपक्ष के नेता और अन्य नेताओं की स्पीच मैने पढ़ी तो मुझे लगा कि यह व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना जरूरी है। बाद में मैनें जांच की तो पता चला कि परसों मेरे मंत्रालय की परामर्शदात्री की एक बैठक हुई थी। हम सब यह जानते हैं कि परामर्शदात्री समिति की बैठक की बाहर कोई रिर्पोटिंग नहीं होती है और न ही उसकी कोई चर्चा होती है। लगता है एक-आध समाचार ने, मैने परामर्श दात्री समिति में ऐसा कहा, ऐसा अपने सूत्रों के आधार पर छापा है। उसमें किसी प्रकार की स्त्यता घोषणा की है। विपक्ष के नेता प्रणव बाबू ने भी कहा था, सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सदन के चलते हुए किसी प्रकार की घोषणा ने मैनें की है न कहूंगा।

THE APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1998

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Madam, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1998-99, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, this Bill arises out of the Supplementary Appropriations charged on the Consolidated Fund of India and Demands voted by Lok Sabha. It is proposed to augment the sanctioned provisions by Rs. 14,449.96 crores. However, to the extent of Rs. 13,169.96 crores, the augmented provision is matched by savings of the concerned departments or by enhanced receipts recoveries. In addition, demand provison of Rs. 27 lakhs is being sought—Rs.

V-